निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

7 आषाढ़ 1939 (श0)

संख्या 26 पटना, बुधवार, ——————

28 जून 2017 (ई0)

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग-1—नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।	2-33
भाग-1-क—स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश।	---
भाग-1-ख—मैट्रीकुलेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0-इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।	---
भाग-1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि	---
भाग-2—बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।	4-7
भाग-3—भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण।	---
भाग-4—बिहार अधिनियम	---
भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुर:स्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है।	---
भाग-8—भारत की संसद में पुर:स्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-9—विज्ञापन	---
भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं	---
भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।	8-8
पूरक	---
पूरक-क	9-11

भाग-1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएं

पर्यावरण एवं वन विभाग

अधिसूचनाएं

12 जून 2017

सं० भा0व0से0 (स्था0) 11/2016–1955/प0व0—श्री अरविन्द कुमार पाण्डेय, भा0व0से0 (86) को भारतीय वन सेवा (वेतन) नियमावली 2016 तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेशों के अधीन अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक कोटि (वेतन स्तर 15 रू0 1,82,200–2,24,100) में तत्काल प्रभाव से प्रोन्नति दी जाती है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
रत्नेश झा, संयुक्त सचिव।

12 जून 2017

सं० भा0व0से0 (स्था0) 11/2016–1956/प0व0—श्री रविशंकर कुमार, भा0व0से0 (99) को भारतीय वन सेवा (वेतन) नियमावली 2016 तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेशों के अधीन मुख्य वन संरक्षक कोटि (वेतन स्तर 14 रू0 1,44,200–2,18,200) में प्रोन्नति दी जाती है।

इन्हें मुख्य वन संरक्षक कोटि में प्रोन्नति का लाभ मुख्य वन संरक्षक या समकक्ष पद पर पदस्थापन के उपरांत योगदान की तिथि से देय होगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
रत्नेश झा, संयुक्त सचिव।

12 जून 2017

सं० भा0व0से0 (स्था0) 11/2016–1957/प0व0—डॉ0 गोपाल सिंह, भा0व0से0 (2003) को भारतीय वन सेवा (वेतन) नियमावली 2016 तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेशों के अधीन वन संरक्षक कोटि (वेतन स्तर 13 ए रू0 1,31,100–2,16,600) में तत्काल प्रभाव से प्रोन्नति दी जाती है।

सं० भा0व0से0 (स्था0) 11/2016–1958/प0व0—श्री एस0 चन्द्रशेखर, भा0व0से0 (2003) को भारतीय वन सेवा (वेतन) नियमावली 2016 तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेशों के अधीन वन संरक्षक कोटि (वेतन स्तर 13 ए रू0 1,31,100–2,16,600) में तत्काल प्रभाव से प्रोन्नति दी जाती है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
रत्नेश झा, संयुक्त सचिव।

12 जून 2017

सं० भा0व0से0 (स्था0) 11/2016–1959/प0व0—श्री कमलजीत सिंह, भा0व0से0 (2004) को भारतीय वन सेवा (वेतन) नियमावली 2016 तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेशो के अधीन प्रवर कोटि (वेतन स्तर 13 रू0 1,18,500–2,14,100) में दिनांक 01.01.2017 के प्रभाव से प्रोफार्मा प्रोन्नति दी जाती है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
रत्नेश झा, संयुक्त सचिव।

गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

अधिसूचना

13 जून 2017

सं० 7 / सी0सी0ए0–1024 / 2001(खंड–II)गृ0आ0–4895—बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1981 (7 / 81) की अध्याय 2 की धारा–12 (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार–राज्यपाल, राज्य के सभी जिला दण्डाधिकारियों को उपर्युक्त अधिनियम की धारा–12 (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का अपने जिला के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत गृह विभाग (आरक्षी शाखा) के एतद् विषयक अधिसूचना संख्या–**2244**, दिनांक **15.03.2017** के क्रम में अगले तीन महीनों के लिए अर्थात दिनांक **01.07.2017 से 30.09.2017** तक (एक जुलाई दो हजार सत्रह से तीस सितम्बर दो हजार सत्रह तक) प्रयोग करने की शक्ति प्रदान करते हैं।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
गिरीश मोहन ठाकुर, अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 15—571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in

भाग-2

बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।

सं० 13/मु0 10–06/2010 (अंश–I)–945

शिक्षा विभाग

संकल्प

24 अप्रील 2017

विषय :– माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा एल०पी०ए० संख्या–1489/2011 एवं सिविल रिभ्यू संख्या–344/2016 तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा एस०एल०पी० संख्या–32079/2015 में पारित आदेश के अनुपालन में अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यरत भूतपूर्व अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशकों को शिक्षा विभाग सहित राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के अधीन समूह–'घ' के विधिवत स्वीकृत एवं रिक्त पदों के विरूद्ध नयी नियुक्ति के माध्यम से समायोजित करने के संबंध में।

बिहार राज्य में वर्ष 1980–81 में 06–14 आयुवर्ग के ऐसे बच्चे जिन्हें औपचारिक शिक्षा उपलब्ध नहीं कराई गई थी, को साक्षर बनाने के लिए अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम चलाया गया था। अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यरत पर्यवेक्षकों का समायोजन विभिन्न विभागों के अधीन तृतीय वर्ग के विधिवत स्वीकृत एवं रिक्त पदों पर संकल्प संख्या–27 दिनांक 12.01.2010 के आलोक में राज्य सरकार द्वारा कर लिया गया है। इसी आधार पर लगातार अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशकों के द्वारा भी समायोजन की माँग की जा रही थी।

इसी विषय पर माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर एल0पी0ए0 संख्या–1489/2011 एवं सिविल रिभ्यू संख्या–344/2016 तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा एस0एल0पी0 संख्या–32079/2015 में पारित आदेश के आलोक में भूतपूर्व अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशकों को समायोजित करने हेतु माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में शर्तें निर्धारित करते हुए निर्धारित शर्तों का पूर्ण अनुपालन करने वाले भूतपूर्व अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशकों की वास्तविक संख्या तथा पहचान स्थापित करने के लिये सभी जिलों में जिला शिक्षा पदाधिकारी की अध्यक्षता में एक चार सदस्यी कमिटि का गठन प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग के आदेश संख्या–934 दिनांक–14.04.16 द्वारा किया गया था। कालान्तर में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में समायोजन हेतु निर्धारित शर्त्तों को संशोधित करते हुए प्रधान सचिव के आदेश संख्या–2121 दिनांक 28.09.2016 के द्वारा जिलास्तरीय कमिटि को प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था।

राज्य के सभी 38 जिलों से जिलास्तरीय कमिटि द्वारा कुल 4560 (चार हजार पाँच सौ साठ) व्यक्तियों की सूची जो समायोजन हेतु निर्धारित शर्तों का पूर्ण अनुपालन करते हैं, को समायोजित करने के अनुशंसा के साथ विभाग को प्राप्त हुआ है। इसके अलावा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में कई अन्य सदृश्य अवमाननावाद दायर हैं जो सुनवाई हेतु माननीय न्यायालय में सूचीबद्ध है। इनमें पारित आदेश के फलाफल से समायोजन हेतु उपलब्ध अनुदेशकों की संख्या बढ़ सकती है। सभी जिलों से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार सेवानिवृति तिथि के क्रम में निदेशालय के स्तर पर एक समेकित सूची/पैनल तैयार किया जायेगा और इसी पैनल से विभिन्न विभागों को उनके यहाँ उपलब्ध समूह–'घ' की रिक्ति के विरुद्ध नयी नियुक्ति के माध्यम से निम्नलिखित रुप में समायोजित करने का निर्णय लिया गया है:–

(क) सरकारी सेवा में समूह–'घ' के रिक्त पदों पर जिलास्तरीय समिति से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर वैसे अनुदेशकों का समायोजन किया जायेगा, जिनकी सेवानिवृत्ति की आयु शेष है तथा जो दिनांक 26.02.2016 तक माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली एवं माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर वाद में स्पष्ट petitioner होने के साथ–साथ लगातार तीन वर्षों तक अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशक के रुप में कार्यरत रहे हों।

(ख) समायोजन के लिए समूह–'घ' पर सीधी नियुक्ति हेतु विहित आवश्यक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अर्थात् माध्यमिक या समकक्ष उत्तीर्ण व्यक्ति ही योग्य होंगे। उच्चतर योग्यता धारण करने के आधार पर किसी को समूह–'घ' से उच्च वर्ग में समायोजित किये जाने का दावा मान्य नहीं होगा। समायोजन राज्य

सरकार द्वारा समूह–'घ' के स्वीकृत पदों के विरुद्ध उपलब्ध रिक्त पदों पर ही किया जायेगा, इसके लिये कोई नया पद सृजित नहीं किया जायेगा।

(ग) समायोजन के क्रम में आरक्षण रोस्टर का अनुपालन आवश्यक होगा, जो व्यक्ति जिस आरक्षण श्रेणी के होंगे, उसी श्रेणी के रोस्टर बिंदु के विरुद्ध उनका समायोजन होगा।

(घ) समायोजन के लिए अधिकतम उम्र सीमा क्षांत की जायेगी।

(ड़) नियुक्ति के लिए तैयार किये गये पैनल से विभिन्न विभागों को उनके यहाँ उपलब्ध रिक्ति के विरुद्ध प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग का अनुमोदन प्राप्त कर नियुक्ति के लिए नाम निदेशक, जन शिक्षा के स्तर से भेजा जायेगा, तत्पश्चात् संबंधित विभाग अपने स्तर से नयी नियुक्ति की कार्रवाई करेगा।

(च) संबंधित व्यक्तियों का समायोजन नयी नियुक्ति के माध्यम से किया जायेगा तथा समायोजित पद के न्यूनतम प्रकम पर वेतन का भुगतान किया जोयगा। समायोजित व्यक्तियों पर राज्य में प्रवृत नयी पेंशन योजना लागू होगी तथा पूर्व की सेवा के आधार पर पुरानी पेंशन योजना का लाभ अनुमान्य नहीं किया जा सकेगा।

(छ) ग्रेडेशन/पैनल सेवानिवृति के तिथि के अनुसार तैयार किया जायेगा। जिनकी उम्र सेवानिवृति के सबसे नजदीक हैं उनका समायोजन पहले करते हुए इसी क्रम में नियुक्ति/समायोजित करने की कार्रवाई की जायेगी।

(ज) रिक्तियों के अनुपलब्धता के कारण नियुक्ति के लिये तैयार किये गये पैनल से जिन व्यक्तियों का समायोजन तत्काल नहीं हो पायेगा उनकी सूची संधारित कर अगले 5 वर्षों में रिक्त पद उपलब्ध होने पर उनके समायोजन की कार्रवाई की जायेगी।

अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशकों को उपर्युक्त के अनुसार समायोजित करने की कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए निदेशक, जन शिक्षा, बिहार, पटना नोडल पदाधिकारी के रुप में कार्य करेंगें।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
आर0 के0 महाजन, प्रधान सचिव।

सं० **ए/के0स0यो0(61)–18/2016–5200**

गृह विभाग
(विशेष शाखा)

संकल्प
7 जून 2017

विषयः– बिहार में भारत सरकार की प्रतिपूर्ति आधारित 'आतंकवाद/साम्प्रदायिक/नक्सली हिंसा, भारतीय संघ में सीमा पार से गोलीबारी एवं बारूदी सुरंग विस्फोट (Mines/IED Blast) से पीड़ित सिविल व्यक्तियों को मुआवजा भुगतान हेतु गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी संशोधित मार्गदर्शिका के अनुसार प्रावधान लागू करने के संबंध में।

विभागीय संकल्प सं0–4419 दिनांक 21.05.2013 के द्वारा प्रतिपूर्ति आधारित **'आतंकवाद/साम्प्रदायिक/नक्सली हिंसा के सिविल पीड़ितों को सहायता हेतु केन्द्रीय योजना'** के अन्तर्गत इन मामलों में पीड़ित परिवारों को प्रति मृतक केन्द्रीय योजना से 3.00 लाख एवं इसके अतिरिक्त एस0आर0ई0 जिलों के लिए 1.00 लाख रूपये (एस0आर0ई0 मद से) दिए जाने का प्रावधान है। इस संकल्प के प्रावधान गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक–11044/11/2011-VTV दिनांक 29.06.2012 के आलोक में राज्य सरकार द्वारा लागू किये गये हैं। उक्त योजनान्तर्गत भारत सरकार के मार्गदर्शिका के अनुसार मुआवजा भुगतान की प्रतिपूर्ति का प्रस्ताव वांछित सूचनाओं के साथ गृह मंत्रालय, भारत सरकार को भेजा जाता है। तत्पश्चात गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 70% राशि की प्रतिपूर्ति तत्काल एवं शेष 30% राशि की प्रतिपूर्ति अंकेक्षण जांच (audit verification) के बाद की जाती है। इसके लिए मांग सं0–22 में मुख्य शीर्ष–2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उप मुख्य शीर्ष–60–अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम, लघु शीर्ष–200–अन्य कार्यक्रम, उप शीर्ष–0414–आतंकवाद, साम्प्रदायिक तथा नक्सली हिंसा में पीड़ितों को सहायता, विषय शीर्ष–33 02–मुआवजा (विपत्र कोड 22-2235602000414) से मुआवजा का भुगतान किया जाता है।

2. गृह मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त नई मार्गदर्शिका के अनुसार आतंकवाद/साम्प्रदायिक/ नक्सली हिंसा के साथ–साथ भारतीय संघ क्षेत्र में सीमापार से गोलीबारी तथा बारूदी सुरंग विस्फोट (Mines/IED Blast) संबंधित मामलों में दिनांक 24.08.2016 के प्रभाव से पाँच लाख रूपये प्रति मृतक की दर से अनुग्रह–अनुदान की राशि पहले राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जायेगी एवं भुगतान किए गए राशि की प्रतिपूर्ति गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा की जाएगी।

इस नई मार्गदर्शिका के अनुसार इसके लिए निम्नांकित पात्रता निर्धारित की गयी है :–

(i) परिवार के सदस्य (सदस्यों) को वित्तीय सहायता उस स्थिति में दी जाएगी जब पीड़ित की 'आतंकवादी/साम्प्रदायिक/नक्सली हिंसा/भारतीय संघ में सीमा पार से गोलीबारी एवं बारूदी सुरंग विस्फोट (Mines/IED Blast) में मृत्यु हुई हो अथवा वह स्थायी रूप से अशक्त (50 प्रतिशत या उससे ऊपर) हो गया हो।

(ii) पति अथवा पत्नी, जैसा भी मामला हो, की मृत्यु होने/स्थायी रूप से अशक्त होने की स्थिति में सहायता उसके जीवित जीवन साथी को दी जाएगी। तथापि, यदि पति और पत्नी दोनों की मृत्यु हिंसा की एक ही घटना में हुई हो तो परिवार प्रत्येक मामले में सहायता प्राप्त करने के लिए हकदार होगा।

(iii) इस योजना के अन्तर्गत पीड़ित व्यक्तियों के परिवार ऐसी स्थिति में भी सहायता प्राप्त करने के हकदार होगे जब उन्हें सरकार से अथवा किसी अन्य स्त्रोत से अनुग्रह राशि अथवा अन्य किसी प्रकार की राहत के भुगतान के रूप में कोई अन्य सहायता प्राप्त हुई हो, सिवाए उस स्थिति के जब इसी प्रकार की योजना केन्द्र सरकार द्वारा पहले ही कार्यान्वित की जा रही हो।

(iv) राज्य सरकारों/राज्य पी0एस0ई0 तथा राज्य सरकारों के इसी प्रकार के संगठनों सहित केन्द्र सरकार, सी0पी0एस0ई0, स्वायत्तशासी संस्थाओं और केन्द्र सरकार के अन्य संगठनों के कर्मचारियों के निकट संबंधी, आतंकवादी/साम्प्रदायिक/नक्सली हिंसा एवं भारतीय संघ में सीमा पार से गोलीबारी एवं बारूदी सुरंग विस्फोट (Mines/IED Blast) की घटनाओं के कारण मौत/स्थायी अशक्तत (50 प्रतिशत और उससे अधिक) के मामले में 5 लाख रूपये की वित्तीय सहायता प्राप्त करने के हकदार होंगे।

(v) विदेशी नागरिक और एन0आर0आई0 भी 1.4.2008 से अर्थात इस योजना के प्रभावी बनाए जाने की तारीख से इस योजना के अन्तर्गत पात्र/शामिल होंगे।

(vi) हिंसा करने वाले अथवा उनके परिवार इस योजना के अन्तर्गत किसी प्रकार की सहायता के हकदार नहीं होंगे।

3. आतंकवादी और साम्प्रदायिक हिंसा संबंधी मामलों में दिनांक–01.04.2008 से, नक्सली हिंसा के मामले में दिनांक 22.06.2009 से तथा भारतीय संघ में सीमा पार से गोलीबारी एवं बारूदी सुरंग विस्फोट (Mines/IED Blast) के मामलों में दिनांक 24.08.2016 से/के बाद घटित घटनाओं के संबंध में अनुमान्य है।

4. जिला स्तर पर अपनायी जाने वाली प्रक्रिया निम्न होगी :–

(i) पात्र दावेदार, आतंकवादी, साम्प्रदायिक और नक्सली हिंसा एवं भारतीय संघ में सीमा पार से गोलीबारी एवं बारूदी सुरंग विस्फोट (Mines/IED Blast) की सम्बद्ध घटना के 3 वर्षों के भीतर निर्धारित प्रपत्र में (अनुलग्नक–I) अपने दावे संबंधित जिला पदाधिकारी/राज्य सरकार के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं।

(ii) जिला पदाधिकारी/समाहर्त्ता की अध्यक्षता में एक जिला स्तरीय समिति गठित होगी जिसमें जिला पुलिस अधीक्षक, जिला चिकित्सा अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला बाल एवं महिला विकास अधिकारी और राज्य सरकार द्वारा नामित एक अधिकारी सदस्यों के रूप में शामिल होंगे। यह समिति लाभार्थियों की पहचान करेगी तथा इस योजना के अन्तर्गत सहायता के लिए उनकी पात्रता का सत्यापन करेगी।

(iii) पात्रता संबंधी दावों की जांच करते समय जिला समिति पुलिस रिपोर्ट/एफ0आई0आर0, मृत्यु के मामले में मृत्यु–सह–शव परीक्षा प्रमाण–पत्र, स्थायी अशक्तता के मामले में चिकित्सा प्रमाण–पत्र, दावाकर्त्ता के जन्म प्रमाण–पत्र (यदि वह अवयस्क है), और वैध दावाकर्त्ता का निर्धारण करने के लिए आवश्यक समझे जाने वाले किन्हीं अन्य दस्तावेजों की जांच करेगी।

(iv) स्थायी अशक्तता के मामले में जिला चिकित्सा अधिकारी से इस आशय का एक प्रमाण–पत्र अपेक्षित होगा कि पीड़ित की अशक्तता 50 प्रतिशत और उससे अधिक है, जो कि स्थायी प्रकृति की है और अशक्तता के स्तर में परिवर्तन होने की कोई संभावना नही है और इस चोट के कारण पीड़ित जीवनपर्यन्त सामान्य जीवन व्यतीत नहीं कर सकेगा।

(v) परिवार में लाभार्थी का चुनाव करने में निकटतम संबंधी की अवधारणा लागू की जाएगी।

(vi) जिला समिति इस बात से अपनी संतुष्टि करेगी की पीड़ित को यह क्षति/उसकी मौत आतंकवादी/साम्प्रदायिक/नक्सली हिंसा/भारतीय संघ में सीमा पार से गोलीबारी अथवा बारूदी सुरंग विस्फोट (Mines/IED Blast) जैसा भी मामला हो, के कारण हुई है और लाभार्थी की पहचान योजना के अनुसार ही की गई है। वह यह भी सत्यापित करेगी कि पीड़ित को यह क्षति/उसकी मौत किसी अपराध संबंधी घटना अथवा प्राकृतिक कारणों से नही हुई है।

(vii) जिला समिति, जहां तक संभव हो, आतंकवादी अथवा साम्प्रदायिक हिंसा से पीड़ित व्यक्ति/परिवार के लिए सहायता संबंधी दावों की प्राप्ति होने के 15 दिन के भीतर अपनी सिफारिश (अनुलग्नक–II) में देगी।

(viii) जिला पदाधिकारी स्वयं समुचित औचित्य देते हुए योजना के अन्तर्गत सहायता संबंधी सिफारिश कर सकते है।

(ix) योजना के उपबंधों के अनुसार आवेदन पर कार्रवाई, जिला समिति की सिफारिशों सहित, 3 सप्ताह के अन्दर पूरी की जाएगी।

(x) स्वीकृति आदेश राज्य सरकार की ओर से जिला पदाधिकारी द्वारा विहित प्रपत्र (अनुलग्नक–III) में जारी किया जाएगा। स्वीकृति पत्र की एक प्रति राज्य सरकार के गृह विभाग को भेजी जाएगी। स्वीकृति आदेश की एक प्रति आन्तरिक सुरक्षा–II प्रभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली को पृष्ठांकित की जाएगी।

(xi) प्रतिपूर्ति का प्रस्ताव समर्पित करने की प्रक्रिया :–

(a) मार्गदर्शिकानुसार विहित प्रपत्र अनुलग्नक–I (लाभार्थी का आवेदन), अनुलग्नक–II (जिला पदाधिकारी की अनुशंसा), की छायाप्रति एवं अनुलग्नक–III (स्वीकृत्यादेश), अनुलग्नक–IV (भारत सरकार से प्रतिपूर्ति प्राप्त करने हेतु भेजी जाने वाली सूचना) हस्ताक्षरित–मुहरित एवं मूल रूप में राज्य सरकार के माध्यम से गृह मंत्रालय, भारत सरकार को समर्पित किया जाएगा ;

(b) प्रतिपूर्ति के दावा प्रस्तुतीकरण में दावा की गयी राशि का भारत सरकार की अन्य किसी योजना के अन्तर्गत दावा न किया जाए अर्थात दो बार दावा नहीं किया जाएगा। इस आशय का एक वचन/प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जाएगा कि इन मदों के लिए किसी अन्य योजना के अन्तर्गत दावा नहीं किया गया है ;

(c) इस आशय का एक वचन/प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा कि पीड़ित परिवार के किसी सदस्य को अनुकम्पा के आधार पर कोई नौकरी नहीं दी गयी है ;

(d) विहित प्रपत्र बैंक/मैण्डेट डिटेल तथा एजेन्सी डिटेल मूल रूप में प्रस्तुत किया जाएगा।

(xii) जिला पदाधिकारी लाभार्थी के नाम पर चैक जारी करेगा। जब कभी व्यवहार्य होगा, सहायता पीड़ित/निकटतम संबंधी के बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिक अंतरण के माध्यम से संवितरित की जाएगी।

(xiii) जिला पदाधिकारी/समाहर्त्ता चैक को लाभार्थी के सावधि खाते में जमा करेंगे, जिसकी लॉकिग अवधि 3 वर्ष की होगी। साथ ही बैंक को स्थायी आदेश दिए जायेंगे कि वह लॉकिग अवधि के दौरान तिमाही ब्याज और लॉकिग अवधि के बाद मूल राशि सीधे लाभार्थी के खाते में जमा करे।

5. दिनांक 24.08.2016 से पूर्व के मामले विभागीय संकल्प सं0–4419 दिनांक 21.05.2013 से आच्छादित होंगे।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
जितेन्द्र कुमार, विशेष सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 15—571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in

भाग-9(ख)

निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय, सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।

सूचना

No 754— **I**, UTKARSH, S/o- Dr Vinod Kumar Singh R/0-Sector-7 Block-2, Flat-32 HIG Flats, BH Colony Kankarbagh, Patna-26, declare that earlier I was known sa Utkarsh, but from today onwards I Will be known as Utkarsh Singh for all future purposes. Affiadivit no. 845 Dated 17-05-2017.

UTKARSH.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट, 15—571+10-डी0टी0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in

बिहार गजट

का

पूरक(अ0)

प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित

समाहरणालय, मुजफ्फरपुर
(जिला भूमि सुधार प्रशाखा)

आदेश फलक
19 दिसम्बर 2016

सं० 2930/भू०सु०मुज०—श्री सकलदेव पासवान, राजस्व कर्मचारी, सरैया अंचल मुजफ्फरपुर सम्प्रत्ति कटरा अंचल को परिवादी श्री देवेन्द्र प्रसाद ठाकुर पिता स्व. रामाशीष ठाकुर, थाना+अंचल सरैया, जिला मुजफ्फरपुर द्वारा निगरानी थाना कांड संख्या 70/13 दिनांक 30.10.2013 दायर परिवाद पत्र संख्या 161/08 में आरोप लगाया गया है कि वर्ष 2007 में आए भीषण बाढ़ में हुए फसल क्षति के क्षतिपूर्ति हेतु परिवादी एवं उनके दोनों बेटों का नाम छोड़ दिया गया। जबकि दूसरे ग्रामीण देवेन्द्र प्रसाद ठाकुर, पिता गंगा प्रसाद ठाकुर, ग्राम रतनपुरा, थाना+अंचल सरैया, जिला मुजफ्फरपुर को जमाबंदी संख्या 235, जिसमें कुल रकवा 2 एकड़ 49.5 डी0 भूमि है और इसमें श्री देवेन्द्र प्रसाद ठाकुर का मात्र 1/3 (एक तिहाई हिस्सा है जबकि मिलीभगत कर जमाबंदी संख्या 235 में उन्हें 7 एकड़ 17.5 डी. भूमि का एल.पी.सी. निर्गत करने के आरोप में जिलाधिकारी, मुजफ्फरपुर के ज्ञापांक 803/भू.सु.मुज. दिनांक 09.06.2014 द्वारा निलंबित करते हुए विभागीय जांच संचालन हेतु संचालन पदाधिकारी, अपर समाहर्त्ता (विभागीय जांच) एवं उपस्थापन पदाधिकारी अंचल अधिकारी सरैया को नियुक्त किया गया था। अपर समाहर्त्ता (विभागीय जांच) मुजफ्फरपुर द्वारा कार्यवाही का विधिवत संचालन करने के उपरांत श्री सकलदेव पासवान, राजस्व कर्मचारी के विरूद्ध चार आरोपों में से दो आरोपों को आंशिक रूप से तथा दो आरोपों में पूर्ण रूप से प्रमाणित पाया गया। जिस कारण श्री पासवान से द्वितीय कारण पृच्छा संचालन प्रतिवेदन एवं संगत अभिलेखों के विश्लेशन में श्री पासवान के विरूद्ध आदेश ज्ञापांक 55/भू.सु.मुज. दिनांक 07.01.2016 द्वारा 9300–34800 कालमान वेतन के निम्नतर प्रक्रम पर अवनत करने का दण्ड अधिरोपित किया गया। इस आदेश के विरूद्ध श्री सकलदेव पासवान द्वारा माननीय आयुक्त न्यायालय मुजफ्फरपुर के यहाँ सेवा अपील वाद संख्या 17/2016 दायर किया गया जिसमें दिनांक 09.05.2016 को माननीय आयुक्त तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर द्वारा पारित दण्डादेश ज्ञापांक 523 दिनांक 09.05.2016 के द्वारा श्री सकलदेव पासवान, तत्कालीन राजस्व कर्मचारी सरैया अंचल सम्प्रति कटरा अंचल को आदेश निर्गत की तिथि से सेवा से बर्खास्त किए जाने अथवा यदि अपीलकर्त्ता इस अवधि में सेवा निवृत्त हो गये हो तो उन्हें बर्खास्तगी के समतुल्य शास्ति अधिरोपित किये जाने का आदेश दिया गया है। श्री सकलदेव पासवान, राजस्व कर्मचारी, कटरा अंचल दिनांक 31.01.2016 को सेवानिवृत्त हो गये हैं।

जिलाधिकारी, मुजफ्फरपुर के आदेश के समीक्षोपरान्त आयुक्त तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर द्वारा आदेश पारित किया गया है जिसमें मुख्य रूप से निम्नांकित बिन्दु अंकित की गई है :–

अपीलकर्त्ता का दावा है कि समाहर्त्ता ने इस तथ्य पर विचार नहीं किया है कि उनके विरूद्ध जिन आरोपों के लिए विभागीय कार्यवाही प्रारंभ हुई थी अथवा प्रपत्र **'क'** में आरोप गठित हुए थे वह निगरानी थाना कांड के आधार पर प्रारंभ हुए थे जिसे माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में खारिज कर दिया गया है जिससे पारित दंडादेश गलत एवं नैसर्गिक न्याय के विपरीत है।

स्पष्ट है कि अपीलकर्त्ता के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही विधिवत प्रपत्र 'क' में आरोप गठित करते हुए इन्हें अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर प्रदान करने के उपरान्त तथा संचालन पदाधिकारी से प्रतिवेदन प्राप्त होन पर इनसे विधिवत द्वितीय कारण पृच्छा प्राप्त करते हुए एवं उस पर विचारोपरान्त पारित है जिसे अपीलकर्त्ता के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में कोई प्रक्रियात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है।

जहां तक इन्हें दंडित करने का प्रश्न है तो संचालन पदाधिकारी द्वारा इनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में इनके विरूद्ध गठित चार आरोपों में से 2 आरोपों को आंशिक रूपसे तथा 2 आरोपों को पूर्ण रूप से प्रमाणित पाया गया है। इसलिए प्रपत्र 'क' के गठित आरोपों के विभागीय कार्यवाही में प्रमाणित पाये जाने की स्थिति में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा इन्हें दंडित करने के लिये दिये गये निर्णय में भी कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। परन्तु जहां तक अपीलकर्त्ता द्वारा अपने अपीलवाद में खुद को दंडित किये जाने को इस आधार पर गलत बताते हुए चुनौती दिये जाने का प्रश्न है कि उनके विरूद्ध जो प्रपत्र 'क' गठित हुआ अथवा जो विभागीय कार्यवाही प्रारंभ हुई थी उसका आधार निगरानी नालिसीवाद एवं इससे संबंधित थाना कांड था जिसे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिये जाने से उनके विरूद्ध कार्रवाई का कोई आधार नहीं बनता है, तो इस संबंध में उनके दावे पर विचार के लिए सर्वप्रथम माननीय उच्च न्यायालय के पारित आदेश का अवलोकन आवश्यक है। माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलकर्त्ता द्वारा दायर सी.डब्लु.जे.सी. वाद संख्या 783/14 में दिनांक 25.06.2015 को पारित आदेश के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इनके मामले में निगरानी वाद एवं थाना कांड को गुणदोष के आधार पर नहीं अपितु उक्त निगरानी वाद हेतु आवश्यक sanction नहीं लिये जाने के तकनीकी आधारों पर निगरानी वाद तथा थाना कांड को निरस्त किये जाने का आदेश दिया गया है तथा भविष्य में नियुक्ति प्राधिकार द्वारा इस त्रुटि का विहित प्रक्रिया के तहत सुधार कर दिये जाने पर इस तकनीकी आधार के समाप्त होने पर इन वादों को पुनः प्रारंभ हो जाना भी संभावित हो सकता है जिससे माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आधार पर अपीलकर्त्ता खुद को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्दोष साबित किये जाने का दावा नहीं कर सकते है।

वैसे भी निगरानी न्यायालयों में दायर वादों में विचारण बिन्दु भ्रष्टाचार वस्तुतः आपराधिक दृष्टिकोण से निर्धारित होते है जबकि विभागीय कार्यवाही के दौरान भ्रष्टाचार के साथ–साथ अनुशासनिक दृष्टिकोण तथा सरकारी सेवक आचार नियमावली के उल्लंघन के दृष्टिकोण से भी मामले का विचारण होता है। इस दृष्टिकोण से विचार किये जाने से यह स्पष्ट होता है कि अपीलकर्त्ता के मामलें में दायर निगरानी वाद में फर्जीवाड़ा, भ्रष्टाचार धोखाघड़ी जैसे आरोप लगाये गये है जो आपराधिक प्रवृति के हैं एवं उनका विचारण आपराधिक मुकदमों के तहत ही किया जाना उचित है परन्तु जहां तक विभागीय कार्यवाही के गठित प्रपत्र **'क'** के आरोपों का प्रश्न है तो वे आरोप सरकारी सेवक द्वारा अपने दायित्वों के उल्लंघन, पद का दुरूपयोग, अनुचित वित्तीय लाभ के उद्देश्य से बदनीयती एवं स्वार्थसाधना हेतु गलत एल.पी.सी का प्रस्ताव उपस्थापित किये जाने से संबंधित है जो सरकारी सेवक आचार नियमावली के उल्लंघन के आरोप है एवं ऐसी स्थिति में अपीलकर्त्ता के मामले में विभागीय कार्यवाही हेतु प्रपत्र 'क' के गठित आरोप निगरानी वाद के आरोपों से अलग प्रकृति के हो जाते है एवं ऐसी स्थिति में अपीलकर्त्ता का यह तर्क भी स्वीकार्य नहीं है कि निगरानी वाद एवं विभागीय कार्यवाही के आरोप एक ही है।

साथ ही यह विधि स्थापित व्यवस्था पूर्व से ही है कि निगरानी वादों के प्रक्रियाधीन रहने से किसी सरकारी सेवक के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही का फलाफल लंबित नहीं रखा जा सकता है जिससे भी निगरानी वादों के मात्र तकनीकी आधार पर खारिज हो जोने के आधार पर विभागीय कार्यवाही के संचालन को दोषपूर्ण माने जाने के अपीलकर्त्ता के तर्क स्वीकार्य योग्य नहीं हो सकते है।

इसी तरह अपीलकर्त्ता द्वारा जहां तक तक अपने विरूद्ध हुई कार्रवाई को इस आधार पर गलत बताने का प्रश्न है कि इनके मामले में गठित आरोप एवं निगरानी वादों में आरोप यह है कि एल.पी.सी. निर्गत कर दिया गया परन्तु वासतव में एल.पी.सी. निर्गत ही नहीं हुआ है। क्योंकि उस पर न तो सक्षम प्राधिकार अंचल अधिकारी का हस्ताक्षर है और ना हीं उस पर कोई निर्गत संख्या ही दर्ज है तो अपीलकर्त्ता के इस दावे पर विचारण हेतु प्रथमतः यह विचारणीय है कि एल.पी.सी. निर्गत करने में इनकी भूमिका क्या थी। इस संबंध में स्पष्ट होता है कि एल.पी.सी. निर्गत होने में अपीलकर्त्ता की भूमिका मात्र राजस्व अभिलेखां के आधार पर सत्यापन कर प्राप्त प्रस्ताव में विवरण अंकित कर अनुशंसा करने की ही थी एवं उनके द्वारा नियम विरूद्ध/अवैध तरीके से जमाबंदी में मात्र 2 एकड़ 49.5 डी. जमीन होने के बावजूद तथा इस तथ्य के संज्ञान में रहने के बावजूद कि यह जमाबंदी एल.पी.सी. के आवेदक की मां के नाम है जिनके तीन पुत्र होने के कारण उसमें उनका हिस्सा कम ही संभावित है। अपीलकर्त्ता द्वारा बिना अन्य भाईयों के प्राधिकार पत्र के 7 एकड़ 17.5 डी. का एल.पी.सी. निर्गत करने हेतु अनुशंसा कर दी गयी जो न सिर्फ आवेदक के हिस्से से अधिक था बल्कि यह संबंधित जमाबन्दी के कुल रकवे से कई गुणा रकवा का भी था। इस अनुशंसा के बाद यदि संबंधित अंचलाधिकारी द्वारा इस पर हस्ताक्षर नहीं किया गया अथवा एल.पी.सी. निर्गत नहीं हुआ तो भी इसमें इनकी भूमि तो पूर्ण ही मानी जाएगी। स्पष्टतः एल.पी.सी. का नहीं निर्गत होना यही इंगित करता है कि अन्य स्तरों पर अपने दायित्वों के सही निर्वहन से एल.पी.सी. निर्गत नहीं हुआ जबकि अपीलकर्त्ता द्वारा जानबूझकर गलत एल.पी.सी. निर्गत करने/कराने में संक्रिय भूमिका निभाई गई। अतः एल.पी.सी. नहीं निर्गत होने के तथ्य से अपीलकर्त्ता को कोई लाभ नहीं दिया जा सकता है। क्योंकि इस मामलें में उनके स्तर से जो कार्य होना था उक्त कार्य में उनके द्वारा नियम विरूद्ध ढंग से तथा राजस्व अभिलेखों के विरूद्ध मनमाना एवं भ्रष्ट आचरण किया गया।

इसी संदर्भ में जहां तक अपीलकर्त्ता द्वारा किये गये इस दावे का प्रश्न है कि उन्होंने आवेदक के नाम परिवार के मुखिया होने के दावे के रूप में एल.पी.सी. की अनुशंसा की थी तो उस स्थिति में भी यह अनुशंसा मात्र 2 एकड़ 49.5 डी. के लिए ही अधिकतम हो सकती थी परन्तु उनके द्वारा कथित केवालाओं के विवरण के आधार पर आवेदक के नाम जमाबंदी से कई गुना अधिक रकवे का एल.पी.सी. निर्गत किये जाने हेतु प्रस्ताव उपस्थापित किया जाना इनके राजस्व कर्मचारी के रूप में राजस्व अभिलेखों का प्रभारी होने के नाते पूरी तरह से नियम विरूद्ध एवं अवैध लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से अपने पद के अवैध दुरूपयोग जिससे सरकारी मुआवजे के अधिक भुगतान की स्थिति बन सकती थी के आरोप अभिलेख आधारित हो जाते है एवं ऐसी स्थिति में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा इन्हें प्रमाणित आरोपों के लिए दंडित किये जाने हेतु लिया गया निर्णय सर्वथा उचित प्रतीत होता है।

जहां तक प्रमाणित पाये गये आरोपों की तुलना में पारित दंडादेश के परिमाण का प्रश्न है तो स्पष्ट है कि अपीलकर्त्ता के विरूद्ध प्रपत्र 'क' गठित चार आरोपों में से संचालन पदाधिकारी ने अपने प्रतिवेदन में दो आरोपों को आंशिक रूप से तथा दो को पूर्ण रूप से प्रमाणित पाये जाने की पुष्टि की गयी है एवं ये प्रमाणित आरोप गंभीर एवं सरकारी अभिलेखों के विरूद्ध जाकर नियम विरूद्ध ढंग से अपने पद के दुरूपयोग द्वारा किसी बाहरी व्यक्ति को अनुचित लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से जान बूझकर की गयी अनियमितता है जिससे सरकार को गंभीर वित्तीय क्षति हो सकती थी। ऐसी स्थिति में अपीलकर्त्ता के विरूद्ध प्रमाणित पाये गये आरोपों के लिए इन्हें मात्र कालमान वेतनमान के न्यूनतम प्रक्रम पर अवनत किये जाने का दिया गया दंड प्रमाणित आरोपों की तुलना में उचित प्रतीत नहीं होता है क्योंकि इनके विरूद्ध भ्रष्टाचार के आरोप प्रमाणित होते है एवं भ्रष्टाचार प्रमाणित पाये जाने पर दिया जाने वाला दंड सिर्फ सेवा मुक्ति/बर्खास्तगी (Dismiss) ही हो सकती है क्योंकि प्रमाणित भ्रष्टाचार के लिए कोई अन्य दंड दिया जाना सर्वथा अनुचित होगा।

वर्णित परिस्थितियों में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरकण नियंत्रण अपील) नियमावली 2005 यथा संशोधित 2007 के नियम 27(2)ग(i) के प्रावधानों के तहत अपीलकर्त्ता के मामलें में संचालित की गयी विभागीय कार्यवाही में अनुशासनिक प्राधिकार–सह–जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने आदेश ज्ञापांक 55/भू.सु. दिनांक 07.01.2016 द्वारा दी गयी शास्ति को प्रमाणित आरोपों की तुलना में कम पाते हुए उक्त शास्ति को वृद्धि कर मैं अतुल प्रसाद भा.प्र.से. आयुक्त तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर श्री सकलदेव पासवान, तत्कालीन राजस्व कर्मचारी, सरैया अंचल वर्तमान अंचल कटरा मुजफ्फरपुर को आदेश निर्गत की तिथि से सेवा से बर्खास्त (Dismiss) किये जाने अथवा यदि अपीलकर्त्ता इस अवधि में सेवानिवृत्त हो गये हो तो उन्हें बर्खास्तगी के समतुल्य शास्ति अधिरोपित किये जाने का आदेश देता हूँ। जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर इस हेतु संशोधित आदेश निर्गत करेंगे एवं अपीलकर्त्ता की बर्खास्तगी/बर्खास्तगी के समतुल्य शास्ति जिला पदाधिकारी, द्वारा आदेश निर्गत किये जाने की तिथि से प्रभावी मानी जायेगी।

अतः आयुक्त तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर के आदेश ज्ञापांक 523 दिनांक 09.05.2016 के आलोक में बिहार पेंशन नियमावली 1950 के नियम 43 बी एवं 139 में निहित प्रावधान के अनुसार मैं धर्मेन्द्र सिंह, जिलाधिकारी–सह–समाहर्त्ता मुजफ्फरपुर इस आदेश निर्गमन की तिथि से श्री सकलदेव पासवान, सेवानिवृत्त राजस्व कर्मचारी, सम्प्रत्ति कटरा अंचल के पेंशन की सम्पूर्ण राशि जीवन पर्यन्त रोकने का दण्ड देता हूँ। जिससे कि सेवा में बने रहने की स्थिति में इस वृत के लिए उन्हें बर्खास्तगी का दण्ड मिलता।

श्री सकलदेव पासवान से संबंधित पूर्ण विवरण निम्न प्रकार है :–

1.	कर्मचारी का नाम	:–	श्री सकलदेव पासवान
2.	पदनाम	:–	राजस्व कर्मचारी
3.	पिता का नाम	:–	स्व0 मोतीलाल पासवान
4.	नियुक्ति की तिथि	:–	11.03.1978
5.	सेवानिवृत्ति की तिथि	:–	31.01.2016
6.	स्थायी पता	:–	ग्राम अतरदह, थाना सदर, जिला मुजफ्फरपुर ।

सभी सम्बन्धितों को सूचित करें। लेखापित एवं संशोधित।

(धर्मेन्द्र सिंह, भा०प्र०से०)
समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
मुजफ्फरपुर।

(धर्मेन्द्र सिंह, भा०प्र०से०)
समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
मुजफ्फरपुर।

आदेश से
(ह०) अस्पष्ट, समहर्त्ता, मुजफ्फरपुर।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 15—571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in